

आदेश की क्रम सं० और तारीख	<b>आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर</b>	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ
---------------------------------	---------------------------------------	--

**प्राधिकार, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अरवल**  
**दाखिल खारीज अपीलवाद संख्या 14/2020-2021**  
**सुनील कुमार वनाम् रविन्द्र कुमार एवं नागेन्द्र कुमार वगैरह**  
**आदेश**

27/1/2022

अपीलार्थी सुनील कुमार, पिता-राम दयाल प्रसाद, ग्राम-मखदुमपुर कबीर, अरवल, थाना+अंचल +जिला-अरवल ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से दाखिल खारीज वाद संख्या-646, 647/R27/2018-2019 में दिनांक 21.01.2019 को अंचल अधिकारी, अरवल के द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया है। अपील दायर करने में हुए विलम्ब पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के उपरान्त वाद की प्रविष्टी की गई। विवादित भूमि निम्न है:-

खाता	खेसरा	रकबा	चौहदी
54	531	1 1/2 कटटा	

मौजा-सैदपुर धावा, थाना संख्या-23, थाना+अंचल+जिला-अरवल।  
उत्तरवादीगण को उपस्थिति हेतु न्यायालय से नोटिस निर्गत किया गया। उत्तरवादी उपस्थित हुए और वाद की सुनवाई की गई।

**अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-**

- (1) अपीलार्थी एवं उत्तरवादी आपस में सहोदर भाई है।
- (2) विवादित भूमि में तीनों भाई को बराबर-बराबर हिस्सा होता है।
- (3) उत्तरवादीगण के द्वारा अंचल अधिकारी, अरवल को दिनांक 10.12.2018 को नामांतरण हेतु आवेदन दिया जिसके विरोध में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.01.2019 को विरोध पत्र दाखिल किया।
- (4) उत्तरवादीगण अपने आवेदन में पंचनामा बॉटवारा द्वारा प्राप्त भूमि बताया है। पंचनामा बॉटवारा अपीलार्थी का मान्य नहीं था जिसके संबंध में अपीलार्थी अनुमंडल दण्डाधिकारी, अरवल के न्यायालय में सूचना पत्र संख्या-327/2017 दिनांक 11.07.2017 को दाखिल किये थे। उत्तरवादीगण द्वारा विवाद उत्पन्न को लेकर अंचल अधिकारी, अरवल के यहाँ दिनांक 15.05.2018 को आवेदन दाखिल किया जिसे स्थानीय कर्मचारी द्वारा जाँच कर कार्य करने पर रोक लगाई थी।
- (5) अंचल अधिकारी, अरवल को नामांतरण को लेकर विवाद की जानकारी थी लेकिन अपीलार्थी के आवेदन को दरकिनार कर दिनांक 21.01.2019 को आदेश पारित किया जो पूर्ण रूपेण गलत एवं मिथ्या है।
- (6) उत्तरवादीगण के तरफ से पिता को पार्टी बनाने की बात कही है। पिता के द्वारा पंचायती बॉटवारा किया था जिसे पिता को पार्टी बनाने का कोई औचित्य ही नहीं रहा जाता है।
- (7) अपीलार्थी बॉटवारा से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि अपीलार्थी को मौजा-चिरैयॉटांड, खाता संख्या-03 एवं 04, प्लॉट संख्या-958 एवं 959, रकबा-15 धूर जमीन दे दी गई है जो अरवल



टाउन से दूर था जिसका जरसमन में भी काफी अंतर है।

(8) बॉटवारा वाद संख्या-37/2020 में दाखिल खारिज वाद में कोई औचित्य नहीं बनता है। अंचल अधिकारी, अरवल ने अपीलार्थी को बिना सुने या बिना सूचना निर्गत किये आदेश पारित किया गया है।

(9) अपीलार्थी अपने माता-पिता के नाम क्रायम डिमांड में 1/3 भाग का अधिकारी प्रत्येक प्लॉट में है जबकि नामांतरण केवल दो पुत्रों के नाम से की गई है। इस आधार पर भी नामांतरण अस्वीकृत करने योग्य है।

(10) पंचनामा बॉटवारा पर विवाद के संबंध में भवदीय को भी दिनांक 15.01.2019 को अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिया गया था। उसका भी पत्र अंचल अधिकारी, अरवल को भेजा गया था जिसे भी दर किनार कर दिनांक 21.01.2019 को नामांतरण स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या-646, 647/R27/18-19 में दिनांक 21.01.2019 में पारित आदेश को खारिज करने का अनुरोध अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

**उत्तरवादीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि:-**

(1) अपीलार्थी के द्वारा आवश्यक पक्षकार को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

(2) अपीलार्थी को वाद लाने का कोई हक नहीं है। गलत तथ्य एवं ब्यान के आधार पर यह मुकादमा लाया है। विवादित भूमि द्वारिका सिंह का था जो निबंधित केवाला के माध्यम से दिनांक 18.02.2009 को राम दयाल प्रसाद एवं चन्द्रवंशी देवी ने खरीद किये हैं और उसपर दखल कब्जा था।

(3) राम दयाल प्रसाद अपने जीवन काल में ही तीनों पुत्रों के बीच अपनी संपत्ति पंच के समक्ष पंचायती में बॉट दिये जिसपर उत्तरवादीगण दखल कब्जा में है। अपीलार्थी को समाहरणालय के पास मौजा-चिरैयॉटांड (रोजापर) में खाता संख्या-03 एवं 04, खेसरा संख्या-958, 959, रकवा-15 धूर हिस्सा मिला जिसपर उनका दखल कब्जा है।

(4) अपीलार्थी ने सब जज प्रथम अरवल के न्यायालय में दिनांक 19.06.2020 को विवादित जमीन पर बॉटवारा वाद संख्या-37/2020 सुनील कुमार वनाम् राम दयाल साव वगैरह लंबित है। सक्षम न्यायालय में बॉटवारा वाद लंबित रहने तक दाखिल खारिज मामलों में किसी प्रकार का आदेश पारित करना न्याय संगत नहीं है।

(5) अंचल अधिकारी, अरवल ने सारी प्रक्रियाओं का पालन कर नामांतरण का आदेश पारित किया है जो न्याय संगत एवं विधिक है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में दाखिल खारिज अपीलवाद आवेदन को खारिज करने का




अनुरोध उतरवादी के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।


उभय पक्ष को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। दाखिल खारिज वाद संख्या-646, 647/R27/18-19 में श्री राम दयाल प्रसाद, पिता-शोभा साव एवं चन्द्रवंशी देवी, पति-राम दयाल प्रसाद द्वारा नागेन्द्र कुमार और रविन्द्र कुमार के नाम से नामांतरण अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा दिनांक 21.01.2019 के द्वारा आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त दाखिल खारिज वाद के अवलोकन से प्रतीत होता है कि राम दयाल प्रसाद वो चन्द्रवंशी देवी जो अपीलार्थी के माता एवं पिता है जो अपने नाम से निबंधित वसीका के माध्यम से खरीदगी भूमि है जिसका डिमांड राम दयाल प्रसाद वो चन्द्रवंशी देवी के नाम पर जमाबंदी संख्या-53/5 पर कायम है। राम दयाल प्रसाद, पिता-शोभा साव द्वारा दिनांक 27.11.2016 को तीनों पुत्रों के बीच पंचों के माध्यम से बँटवारा किया गया। पंचनामा पर तीनों पुत्रों-सुनील कुमार, नागेन्द्र कुमार एवं रविन्द्र कुमार का हस्ताक्षर है। विवादित भूमि नागेन्द्र कुमार और रविन्द्र कुमार को दिया गया है। राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक ने जाँच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया है कि जमाबंदी आवेदक के पिता एवं माता के संयुक्त नाम से कायम है। डिमाण्डधारी एवं अन्य हिस्सेदारों को सूचना निर्गत करते हुए दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जा सकती है। अंचल अधिकारी, अरवल द्वारा आम एवं खास सूचना राम दयाल प्रसाद, पिता-शोभा सिंह, चन्द्रवंशी देवी, पति-राम दयाल प्रसाद, सुनील कुमार, नागेन्द्र कुमार एवं रविन्द्र कुमार तीनों पिता-राम दयाल प्रसाद को ही सूचना निर्गत किया गया। सूचना पत्र पर सुनील कुमार का तामिला प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.01.2019 को अंचल अधिकारी, अरवल के समक्ष नामांतरण नहीं करने के संबंध में आवेदन दाखिल किया था। अपीलार्थी सुनील कुमार द्वारा सब जज प्रथम के न्यायालय में विवादित भूमि का बँटवारा वाद संख्या-37/2020 सुनील कुमार बनाम राम दयाम प्रसाद वगैरह दाखिल किया है जो अभी लंबित है। उतरवादी द्वारा बँटवारा सुट का साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। विवादित भूमि के पंचायती बँटवारा पर अपीलार्थी का सहमति अप्राप्त है।

विवादित भूमि को लेकर अंचल अधिकारी, अरवल ने वादी को खास नोटिस नहीं किया गया, जबकि खास नोटिस होना चाहिए था। दाखिल खारिज हेतु अपीलार्थी का सहमति प्राप्त नहीं है। अतः अंचल अधिकारी, अरवल के द्वारा दाखिल खारिज वाद संख्या-646, 647/R27/18-19 में पारित आदेश को विखंडित किया जाता है। आदेश की एक प्रति अंचल अधिकारी, अरवल को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित



भूमि सुधार उप समाहर्ता  
अरवल।



भूमि सुधार उप समाहर्ता,  
अरवल।

